खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय
ब्लॉक–2, तृतीय तल, इंद्रावती भवन, नया रायपुर

क्रमांक 2391 / खाद्य–संचा / 2017 रायपुर, दिनांक 1 मई, 2017

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़

विषयः– **उचित मूल्य दुकानों के संचालन के युक्तियुक्तकरण विषयक।**
संदर्भः– संचालनालय का पत्र क्रमांक 3134 / खाद्य–संचा / 30 / 2016 दिनांक 16.6.2016

कृपया विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसके माध्यम से राशनकार्डों की संख्या तथा हितग्राहियों की सुविधा के आधार पर उचित मूल्य दुकानों के युक्तियुक्तकरण के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। राज्य में जनवरी 2017 से छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 प्रभावशील हो गया है, जिसके खण्ड 8 के प्रावधान अनुसार उचित मूल्य दुकानों के युक्तियुक्त आबंटन के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान हैं :–

क) सामान्यतः नगरीय क्षेत्रों में 500 राशनकार्डों वाले क्षेत्र के लिए एक उचित मूल्य की दुकान होगी। दुकाने उन क्षेत्रों में स्थापित की जायेंगी, जहां हितग्राहियों के लिए खाद्यान्न प्राप्त करना सुविधाजनक हो।

ख) दुकानों की संख्या तथा स्थिति ऐसे अवधारित की जाए, जिससे हितग्राहियों को खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए 3 किलोमीटर से अधिक नहीं चलना पड़े।

ग) ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्यतः, ग्राम पंचायत को इकाई के रूप में विचार करते हुए, उचित मूल्य की दुकान आबंटित की जावेगी,

उपरोक्त प्रावधान को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान में नगरीय क्षेत्रों में संचालित उचित मूल्य दुकानों के युक्तियुक्तकरण के संबंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जावे :–

1. जिले के नगरीय क्षेत्रों में संचालित उचित मूल्य दुकानों के युक्तियुक्तकरण हेतु आयुक्त नगर निगम / मुख्य नगर पालिका अधिकारी की अध्यक्षता में खाद्य नियंत्रक / खाद्य अधिकारी, उप पंजीयक / सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं तथा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सहित कमेटी का गठन किया जावे। इस कमेटी द्वारा नगरीय क्षेत्र की दुकानों के युक्तियुक्तकरण हेतु विचार उपरांत आवश्यक निर्णय लिया जाकर कार्यवाही की जावेगी।
2. नगरीय क्षेत्रों में सामान्यतः वार्ड को दुकान आबंटन हेतु इकाई मानकर प्रत्येक वार्ड के लिए न्यूनतम 1 उचित मूल्य दुकान संचालित की जावे। यद्यपि नगरीय क्षेत्र की प्रत्येक दुकान में न्यूनतम 500 राशनकार्ड अवश्य संलग्न होने चाहिए ताकि दुकानों का संचालन आर्थिक रूप से लाभदेयी बना रहे। यदि किसी वार्ड में 500 राशनकार्डधारी न हो तो 2 वार्डों के राशनकार्डधारियों को अधिक राशनकार्ड वाली दुकान में संलग्न कर इन वार्डों के मध्य हितग्राहियों के लिए सुविधाजनक स्थल पर उचित मूल्य दुकान का संचालन किया जावे।
3. बेहतर एवं सतत् कनेक्टीविटी की स्थिति में सामान्यतः टेबलेट के जरिये प्रतिदिन 500 से 600 तक औसतन ऑनलाईन वितरण किया जाना संभव है। आबंटन माह के प्रथम सप्ताह में राशन की प्राप्ति हेतु उचित मूल्य दुकानों में प्रायः भीड़ सी लग जाती है। अतः इसे ध्यान

में रखते हुए दुकान में अधिकतम 1000 राशनकार्ड ही संलग्न किया जावे ताकि हितग्राही को दुकान में राशन प्राप्त करने में अनावश्यक विलम्ब की स्थिति निर्मित न हो।

4. राशनकार्डों के संलग्नीकरण का प्रत्यक्ष संबंध दुकान की राशन सामग्री भण्डारण की क्षमता से भी है। अतः अनियंत्रित संख्या में दुकान से राशनकार्ड के संलग्नीकरण से राशन सामग्री के दुकान में एकमुश्त भण्डारण तथा हितग्राहियों को समयबद्ध वितरण की समस्या उत्पन्न होगी, जिसे ध्यान में रखकर 500 से अधिक तथा 1000 राशनकार्ड की सीमा तक प्रति दुकान कार्ड संलग्नीकरण को आधार बनाया जावे।

5. उचित मूल्य दुकानों के युक्तियुक्तकरण के दौरान बिन्दु क्र. 3 के निर्देश का सामान्य सिद्धांत के रूप में पालन किया जावे तथा केवल अपवादिक एवं अपरिहार्य परिस्थिति में ही दुकान से संलग्न राशन कार्डों की संख्या 1000 से अधिक रखी जा सकेगी।

6. राज्य शासन द्वारा 150 क्विंटल तक के मासिक आबंटन वाली दुकानों की आर्थिक लाभदेयता सुनिश्चित करने के लिए मासिक आर्थिक सहायता राशि दी जा रही है। अतः नगरीय क्षेत्रों में 500 कार्ड से कम कार्ड दुकान से संलग्न नहीं किया जावे तथा इस निर्देश का अनिवार्यतः पालन सुनिश्चित किया जावे ताकि राज्य शासन पर अनावश्यक आर्थिक भार न पड़े।

7. नगरीय क्षेत्रों में उचित मूल्य दुकानों के युक्तियुक्तकरण करते समय हितग्राहियों से दुकान की सुविधाजनक दूरी का विशेष रूप से ध्यान रखा जावे। यद्यपि छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के खण्ड 8(ख) के मार्गदर्शी सिद्धांत खण्ड 8(क) के पालन के साथ क्रियान्वित किया जावे।

8. नवगठित नगर पंचायतों में यदि केवल 1 उचित मूल्य दुकान है और उससे संलग्न कार्डो की संख्या 500 से कम हो तो, उसे अपवादिक स्थिति मानते हुए दुकान संचालन को मान्य किया जावे।

9. ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक पंचायत में 1 उचित मूल्य दुकान का संचालन सुनिश्चित किया जावे तथा इस हेतु प्रति दुकान न्यूनतम 500 कार्ड संलग्नीकरण का मापदण्ड लागू नहीं होगा।

कृपया उपरोक्त निर्देशो का पालन करते हुए नगरीय क्षेत्रों में संचालित उचित मूल्य दुकानों के युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही एक माह की समयसीमा में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

(एन. एन. एक्का)
संचालक 01/05/17
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर.

पृ. कमांक 2392 /खाद्य–संचा/2017 रायपुर, दिनांक 1 मई, 2017

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर।
2. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़।
3. समस्त खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी, छत्तीसगढ़।

संचालक
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर.

कार्यालय संचालक

PDS letter